

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 134 / 17

संस्थापन दिनांक:-18 / 05 / 17

फाईलिंग नं. 313 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

प्रदीप पिता सुरेश सिमैया  
उम्र 24 वर्ष, निवासी राजेगांव,  
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 29.08.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 09.05.2017 को दोपहर करीब 12:10 बजे, थाना आमला से 15 किमी पूर्व में ग्राम खरपड़ाखेड़ी स्थित स्कूल के पास रोड पर फरियादी गजेंद्रसिंह को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 09.05.2017 को अपने खेत से बैलगाड़ी से गन्ना लेकर आ रहा था। जैसे ही वह गांव के स्कूल के पास पहुंचा तो बोरदेही तरफ से राजेगांव का प्रदीप अपनी डीजे की गाड़ी जिसका क्र. एमपी-48-जी-1902 से स्कूल के पास रोड पर मिला और उसे गाली देकर बोला कि मादरचोद गाड़ी नीचे उतार जिस पर उसने प्रदीप से कहा कि अपनी गाड़ी साईड से निकाल लो तो अभियुक्त प्रदीप गाड़ी से उतरकर आया और उसे हाथ थप्पड़ उसे गाल पर मारा और पीठ पर दाहिने तरफ मुंह से काट दिया। तभी वहां आकाश चौधरी आया और उसने भी उसे हाथ थप्पड़ से मारने लगा। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 242 / 17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी गजेंद्रसिंह का अभियुक्तगण प्रदीप एवं आकाश से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त प्रदीप एवं आकाश को धारा 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त प्रदीप का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.05.2017 को दोपहर करीब 12:10 बजे, थाना आमला से 15 किमी पूर्व में ग्राम खरपड़ाखेड़ी स्थित स्कूल के पास रोड पर फरियादी गजेंद्रसिंह को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 गजेंद्रसिंह (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना इसी वर्ष 2-3 माह पहले की उसके गांव खरपड़ाखेड़ी की है। घटना के समय वह बैलगाड़ी से अपने गांव आ रहा था और अभियुक्तगण पिकअप वाहन से आ रहे थे। पिकअप वाहन की आवाज सुनकर उसके बैल चौंक गये थे और वह गिर गया था जिससे उसे कंधे की तरफ चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की थी और पीठ में दाहिनी तरफ काट दिया था। साक्षी ने स्वतः में व्यक्त किया है कि बैल के चौंक जाने से वह पिकअप वाहन की तरफ गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी गजेंद्र सिंह (अ.सा.-1) ने अभियुक्त प्रदीप द्वारा उसे दांत से कांटकर

उपहति पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से केवल पिकअप वाहन से बैल बिचक जाने की बात पर से वाद विवाद होने के संबंध में कथन किये हैं तथा बैल चौक जाने से गिरने से उसे चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ पिकअप वाहन से बैल बिचकने की बात पर से विवाद करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी गजेंद्रसिंह को धारदार दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त प्रदीप को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त के मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)